कार्यालयः—प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दतिया (म०प्र०)

//ज्ञापन//

क्रमांक./ 391 /(ई—कोर्ट) दतिया,दिनांक 17/02/2025

प्रति,

समस्त न्यायाधीशगण
जिला न्यायालय दतिया, कुटुम्ब सेवढ़ा, भाण्ड़ेर
तहसील न्यायालय सेवढ़ा व भाण्डेर

विषय – समन और वांरट को केवल सी.आई.एस. सार्फटवेयर के माध्यम से जारी किये जाने के संबंध में ।
संदर्भः– माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का पत्र क्रमांक आई.टी./2025/सी/583 जबलपुर दिनांक 29.01.2025 ।

उपरोक्त विषय एवं संदर्भ में लेख है कि रजिस्ट्री के संदर्भित ज्ञापन अनुसार समन और वांरट को केवल सी.आई.एस. साफ्टवेयर के माध्यम से जारी किये जाने के संबंध में प्राप्त हुआ है।

उक्त पत्र में लेख अनुसार दिनांक 18.01.2025 को "TWARIT"(Transmission of warrant , summons and report by information technology) का शुभारंभ किया गया है और म.प्र. सरकार के द्वारा "The Madhya Pradesh Electronic Processes" (Issuance, service and Execution)Rules 2024 अधिसूचित किया गया है।

तहसील न्यायालय भाण्डेर व तहसील न्यायालय सेवढ़ा के द्वारा समन और वांरट को सी.आई.एस. साफटवेयर के माध्यम से जारी नही किया जा रहा है।

अतः जिला न्यायालय दतिया के समस्त न्यायालयों व कुटुम्ब न्यायालय दतिया व तहसील न्यायालय सेवढ़ा व भाण्डेर के न्यायालयों को निर्देशित किया जाता है कि वह प्रोसेस, समन और वांरट को सी.आई.एस. साफटवेयर के माध्यम से जारी करे व डिजीटल हस्ताक्षर कर अपलोड करे तथा **तहसील न्यायालय सेवढ़ा व भाण्डेर में संचालित न्यायालयों के द्वारा प्रतिदिन कितने प्रोसेस , समन और वारंट सी.आई.एस. साफटवेयर के माध्यम से जारी किये गये उसकी जानकारी प्रतिदिन जिला न्यायालय दतिया के ग्रुप पर भेजे ।**

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

17/2/25

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश
जिला दतिया, म.प्र.

क्रमांक 525
दिनांक 29/1/25

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH, JABALPUR

No.Q/ I.T./2025/ C/583 **Jabalpur, Dated:-** 29/01/2025

-::- Letter -::-

To,

1. The Principal District & Sessions Judges
2. Principal Judge Family Courts

(All in the State of Madhya Pradesh).

Sub:- Issuance of summons and warrants digitally through C.I.S. only.

As you are aware that on 18th January, 2025 **"TWARIT"** (Transmission of Warrant, Summons and Report by Information Technology) has been launched and also the State Government has notified 'The Madhya Pradesh Electronic Processes (Issuance, Service and Execution) Rules, 2024.

Hence, as directed, all Principal District Judges and Principal Judge, Family Courts are requested to instruct the Judicial Officers within their jurisdiction to transmit the processes-summons and warrants preferably in electronic form through '**TWARIT**' system.

29/1/25

REGISTRAR GENERAL

JSA
29/01/25